नीम-हकीमों की गतिविधियों पर रोक लगाया जाना

2045. **श्री अजीत जोगी:**
कुमारी आलिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में नीम हकीमों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में, और होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में पहले ही इस प्रकार के दंड की व्यवस्था है कि राज्य के मेडिकल रजिस्टर में नामांकित चिकित्सकों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में चिकित्सा की प्रैक्टिस नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे एक समयावधि के लिए कारावास जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकता है, अथवा जुर्माना जिसे 1,000 तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं दी जाएंगी।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राजयक्षेत्रों को सलाह दी है कि वे अयोग्य चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए दंड के प्रावधानों को लागू करें।

भारतीय चिकित्सा परिषद इस आधार पर अयोग्य चिकित्सकों को मान्यता प्रदान करने के विरुद्ध है कि इससे नीम-हकीमों को बढ़ावा मिलेगा।

कोबाल्ट संयंत्रों की स्थापना

2046. **कुमारी सुशीला तिरिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए कितने कोबाल्ट-संयंत्रों की स्थापना की गई है तथा इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में यह सुविधा अपर्याप्त है;

(ग) क्या उन राज्य में नए कोबाल्ट संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) देश में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान 41 कोबाल्ट यूनिटें लगाई गई हैं। पिछले पांच वर्षों में इस प्रयोजन के लिए राज्यवार विभिन्न संस्थाओं को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:—

क्रम संख्यांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (लाख रुपये में)
1	आन्ध्र प्रदेश	112
2	असम	24
3	गोवा	12
4	हरियाणा	12
5	हिमाचल प्रदेश	12
6	जम्मू व कश्मीर	24
7	कर्नाटक	24
8	केरल	36
9	मध्य प्रदेश	32
10	मणिपुर	12
11	महाराष्ट्र	72
12	उड़ीसा	20
13	पंजाब	32
14	राजस्थान	24
15	तमिलनाडु	48
16	त्रिपुरा	20
17	उत्तर प्रदेश	70
18	पश्चिम बंगाल	12
19	दिल्ली	34
20	चण्डीगढ़	24
	कुल	656

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में कैंसर अस्पताल तथा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर है, जो गहन कैंसर उपचार, सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, निम्नलिखित संस्थाओं में विकिरण चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं:—

1. गांधी मेडिकल कालेज तथा हमीदिया अस्पताल, भोपाल।

2. एस०जी० कैंसर अस्पताल, इंदौर।

3. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एण्ड कैंसर हास्पिटल, जबलपुर।

4. पंढर अस्पताल, बेतुल।

5. जे० एन० एम० कालेज एण्ड हास्पिटल, रायपुर।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जबलपुर में यूनिट को बदलने का प्रस्ताव है क्योंकि इसकी क्षमता समाप्त हो गई है। भोपाल में प्राइवेट सेन्टर में एक अन्य यूनिट को राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है।

उड़ीसा में, मान्यता प्राप्त एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के